न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

23

समक्ष - आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1485-दो/13 विरूध्द आदेश दिनांक 30/3/2013 पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 1061/अपील/06-07.

मुनीन्द्र प्रसाद तनय श्री उमादत्त ब्रा0
सा0 वीरदत्त तहसील अमरपाटन जिला सतना म0 प्र0

- आवेदक

- विरूध्द -

1 श्रीमती राधिका देवी पत्नी गिरिजा प्रसाद ब्रा0
2 नत्थू प्रसाद तनय गिरिजा प्रसाद ब्रा0
3 संतोष कुमार तनय गिरिजा प्रसाद ब्रा0
4 जयराम प्रसाद तनय गिरिजा प्रसाद ब्रा0
5 कृष्णम तनय गिरिजा प्रसाद ब्रा0
6 आशुतोष कुमार तनय गिरिजा प्रसाद ब्रा0
सभी सा0 वीरदत्त तहसील अमरपाटन जिला सतना म0 प्र0
7 शासन म0 प्र0

- अनावेदकगण

श्री पी0 के0 तिवारी, अभिभाषक, आवेदक
श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक, अनावेदक

निग0प्र0क्र0 1485-दो/13

आ दे श

(आज दिनांक 31/3/2016 को पारित)

१. यह निगरानी प्र क्र 1485-दो/13 रा.मं. में म0 प्र0 भू.राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र क्र 1061/अपील/06-07 में पारित आदेश दि 30-3-2013 के विरुद्ध संस्थित हुआ है.

[२] प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है.

उमादत्त, गणेशप्रसाद और गिरिजाप्रसाद सगे भाई थे. उमादत्त का पुत्र आवेदक मुनीन्द्र है. गणेश की कोई सन्तान नहीं थी. गिरिजा की पत्नी अनावेदिका-१ और पुत्र अनावेदक-२ से ६ हैं. जिला सतना, तहसील अमरपाटन, ग्राम वीरदत्त में आ नं ७० रकबा ०.१७४ हेक्टेयर, नं ३६५ रकबा १.६१५ हेक्टेयर और नं ५४८ रकबा ०.२८७ हेक्टेयर की भूमियाँ (वाद भूमि) राजस्व अभिलेख में गणेशप्रसाद के नाम दर्ज थीं. खतौनी फॉर्म बी-१ वर्ष १९९९-२००० के अनुसार, इसके अतिरिक्त आ नं ५९, ४१०/२ और ४११/२ भी गणेशप्रसाद के नाम दर्ज थीं. इस प्रकार खतौनी फॉर्म बी-१ वर्ष १९९९-२००० के अनुसार गणेशप्रसाद के नाम खाता नं १५५ की कुल किता ६ रकबा ६.७०१ हेक्टेयर, गिरिजा के नाम खाता नं १५७ की कुल किता ८ रकबा ४.३४७ हेक्टेयर, और उमादत्त के नाम खाते नं १४२ और अ४४ की कुल किता २२ रकबा ११.२४९ हेक्टेयर भूमियाँ दर्ज थीं.

आवेदक मुनीन्द्र ने गणेशप्रसाद की वसीयत दि १९-११-९८ के आधार पर आ नं ७० रकबा ०.१७४ हेक्टेयर, नं ३६५ रकबा १.६१५ हेक्टेयर और नं ५४८ रकबा ०.२८७ हेक्टेयर के नामांतरण का आवेदन तहसीलदार अमरपाटन के समक्ष दि ५-२-०४ को पेश किया. इस पर तहसीलदार ने इसी दिनांक ५-२-०४ को प्रकरण क्र १२२/अ-६/०३-०४

पंजीबद्ध करके इश्तेहार जारी करने का आदेश किया. प्रकरण में संलग्न इश्तेहार के पृष्ठ भाग पर यह इश्तेहार दि १२-२-०४ को जारी हुआ होना लिखा है और उसमे दि ४-३-०४ तक आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं. दि ४-३-०४ की आदेश पत्रिका में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हों एक लेख है.दि १६-३-०४ की आदेश पत्रिका में अनावेदक-३ संतोष की आपत्ति प्राप्त होने का लेख है. अगली पेशी दि २५-३-०४ को आदेश पत्रिका पर आवेदक की ओर से आपत्ति का जवाब प्राप्त होने और प्रकरण तर्क हेतु नियत किए जाने का लेख है. इसकी अगली पेशी दि ३१-३-०४ को उभयपक्ष के तर्क सुने जाने और प्रकरण आदेशार्थ नियत होने का लेख है. तदुपरांत १६-४-०४ को तहसीलदार द्वारा आदेश पारित कर मुनीन्द्र के हक़ में उक्त वसीयत के आधार पर नामांतरण स्वीकार किया गुया है.

इस आदेश के विरुद्ध अनावेदकों ने अनु अधि अमरपाटन के समक्ष अपील की, जिसे प्र क्र १२४/अ-६/अपील/०३-०४ के आदेश दि १४-६-०७ से अनु अधि ने अस्वीकार किया. इसके विरुद्ध अनावेदकों ने अपर आयुक्त रीवा के समक्ष द्वितीय अपील की, जो आक्षेपित आदेश से स्वीकृत हुई, और जिसके विरुद्ध आवेदक ने रा मं में यह निगरानी प्रस्तुत की.

[३] मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने.

आवेदक अधिवक्ता ने तर्क किया कि गणेशप्रसाद ने अपने हिस्से की भूमि का वसीयतनामा किया जिसका उन्हें पूरा हक़ था. अनावेदक तहसील न्यायालय में उपस्थित हुए और आपत्ति की और तर्क किये, यदि वे चाहते तो अपने पक्षसमर्थन के लिए और भी योग्य कार्यवाही कर सकते थे, ऐसे में उन्हें विचरण न्यायालय में पर्याप्त अवसर उपलब्ध हुआ. इसके बावजूद यदि वे चाहते तो स्व्वत्व के नर्धारण के लिए व्यवहार न्यायालय जा सकते थे, किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया. अपर आयुक्त

के समक्ष दो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष थे, जिनपर उन्होंमें सही से ध्यान नहीं दिया.

अनावेदक पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क किये कि ना तो विचरण न्यायालय में उन्हें पर्याप्त अवसर मिला, और ना ही तहसीलदार ने उनकी आपत्ति के सभी बिन्दुओं का समुचित निराकरण किया. ऐसे में अपर आयुक्त ने तहसील और अनु अधि के आदेश निरस्त करके सही ही किया है. अपने समर्थन में उन्होंने न्यायदृष्टान्त २०१० रा नि १५३, १९९५ रा नि ३८२, २०१० रा नि ५९ और १९९५ रा नि १०० की प्रतियाँ प्रस्तुत कीं.

[४] प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में मैंने अभिलेख का अध्ययन किया. इस सब कार्यवाही के उपरांत निम्न प्रमुख टीप और विचार योग्य बिंदु इस प्रकरण में समक्ष आते हैं

1. जिला सतना, तहसील अमरपाटन, ग्राम वीरदत्त में आ नं ७० रकबा ०.१७४ हेक्टेयर, नं ३६५ रकबा १.६१५ हेक्टेयर और नं ५४८ रकबा ०.२८७ हेक्टेयर की भूमियाँ राजस्व अभिलेख में गणेशप्रसाद के नाम दर्ज थीं. खतौनी फॉर्म बी-१ वर्ष १९९९-२००० के अनुसार, इसके अतिरिक्त आ नं ५९, ४१०/२ और ४११/२ भी गणेशप्रसाद के नाम दर्ज थीं. इस प्रकार खतौनी फॉर्म बी-१ वर्ष १९९९-२००० के अनुसार गणेशप्रसाद के नाम खाता नं १५५ की कुल किता ६ रकबा ६.७०१ हेक्टेयर, गिरिजा के नाम खाता नं १५७ की कुल किता ८ रकबा ४.३४७ हेक्टेयर, और उमादत्त के नाम खाते नं १४२ और अ४४ की कुल किता २२ रकबा ११.२४९ हेक्टेयर भूमियाँ दर्ज थीं.
2. आवेदक मुनीन्द्र ने गणेशप्रसाद की वसीयत दि १९-११-९८ के आधार पर आ नं ७० रकबा ०.१७४ हेक्टेयर, नं ३६५ रकबा १.६१५ हेक्टेयर और नं ५४८ रकबा ०.२८७ हेक्टेयर के नामांतरण का आवेदन तहसीलदार

अमरपाटन के समक्ष दि ५-२-०४ को पेश किया. इस पर तहसीलदार ने इसी दिनांक ५-२-०४ को प्रकरण क्र १२२/अ-६/०३-०४ पंजीबद्ध करके इश्तेहार जारी करने का आदेश किया. प्रकरण में संलग्न इश्तेहार के पृष्ठ भाग पर यह इश्तेहार दि १२-२-०४ को जारी हुआ होना लिखा है और उसमे दि ४-३-०४ तक आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं. दि ४-३-०४ की आदेश पत्रिका में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हों एक लेख है.दि १६-३-०४ की आदेश पत्रिका में अनावेदक-३ संतोष की आपत्ति प्राप्त होने का लेख है. अगली पेशी दि २५-३-०४ को आदेश पत्रिका पर आवेदक की ओर से आपत्ति का जवाब प्राप्त होने और प्रकरण तर्क हेतु नियत किए जाने का लेख है. इसकी अगली पेशी दि ३१-३-०४ को उभयपक्ष के तर्क सुने जाने और प्रकरण आदेशार्थ नियत होने का लेख है. तदुपरांत १६-४-०४ को तहसीलदार द्वारा आदेश पारित कर मुनीन्द्र के हक़ में उक्त वसीयत के आधार पर नामांतरण स्वीकार किया गुया है.

3. गणेशप्रसाद की उक्त वसीयत नोटरी द्वारा सत्यापित थी. इसके प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में वसीयत के एक साक्षी धर्मराज के बयान लिए गए हैं, किन्तु उसका प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है. वसीयत के दूसरे साक्षी चुन्नीलाल, वसीयत के लेखकार और नोटरी व्ही.एस.तिवारी के साक्ष्य नहीं हुए हैं. किन्तु चूँकि दि २५-३-०४ को प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत होने के समय अनावेदक पक्ष के अधिवक्ता सहित किसी भी पक्ष ने, उपस्थित रहने के बावजूद, किसी अन्य साक्ष्य या प्रतिपरीक्षण हेतु अवसर की मांग नहीं की है,

इसी क्रम में दि १६-३-०४ को तहसीलदार ने आदेश पत्रिका पर दोनों पक्षों के आवेदनपत्र और आपत्ति के साथ संलग्न कागजातों की प्रतियाँ एक दूसरे को उपलब्ध कराने का लेख किया है, किन्तु दि २५-३-

०४ को प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत होने के समय किसी भी पक्ष ने भी इस सम्बन्ध में कोई मांग नहीं की है.

अतः यह नहीं कहा जा सकता की किसी भी पक्ष को अवसर नहीं मिला. वास्तविकता यह है की दोनों पक्षों को अवसर मिला किन्तु उन्होंने उसका पूरा लाभ नहीं उठाया. ऐसे में तहसीलदार ने प्रकरण के गुणदोष को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में प्रकरण के निराकरण को और विलम्बित करना उचित नहीं समझा, और अपना आवश्यक समाधान करते हुए अपना निर्णय पारित कर दिया, जो मेरे मत में इसलिए गलत नहीं था क्योंकि अपने समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करना और साक्ष्य या प्रतिपरीक्षण हेतु अवसर मांगना पक्षकारों और उनके विद्वान अधिवक्ताओं की ज़िम्मेदारी थी, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से इसके लिए बगैर पक्षकारों और अधिवक्ताओं की ओर से किसी मांग के, एक स्तर तक उनका (पीठासीन अधिकारी का) समाधान हो जाने के बाद, प्रकरण की कार्यवाही और निराकरण विलम्बित किये जाने की अपेक्षा करना उचित नहीं है.

4. अनावेदकपक्ष के आपत्ति आवेदन के पैरा ५ में यह लिखा है कि आ नं ५९, ४१०/२ और ४११/२ को गणेशप्रसाद ने कथित वसीयत के वर्ष १९९८ के बाद बेचा था. यदि वसीयत असली होती तो आवेदक मुनीन्द्र इस विक्रय में आपत्ति करता या विवाद पैदा करता. किन्तु उसने ऐसा नहीं किया. इस से उक्त कथित वसीयत संदेहास्पद हो जाती है.

इसका जो जवाब आवेदक ने दिया है उसका आशय यह निकलता है कि विवाद करना उसके स्वभाव में नहीं अनावेदकों के स्वभाव में है, इसलिए यह उनकी समस्या है.

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि उपर वर्णित अनुसार राजस्व अभिलेख (खतौनी) में आ नं ७०, ३६५, ५४८, ५९, ४१०/२ और ४११/२ गणेशप्रसाद के नाम दर्ज हैं. इनमें से वर्ष १९९८ में यदि उन्होंने ३६५, ५४८, ५९ की थी और ४१०/२ और ४११/२ को वसीयत में शामिल नहीं किया था तो ४१०/२ और ४११/२ के विक्रय पर आवेदक द्वारा विवाद किया जाना वैसे भी सम्भाव्य नहीं था. अतः, अनावेदकों की आपत्ति का यह बिंदु स्थिर रखे जाने योग्य नहीं रहता है.

अनावेदकों की आपत्ति के शेष बिंदुओं, जैसे कि गणेशप्रसाद की सेवा सुश्रुता और अंतिम संस्कार किसने किया, वे अपने जीवनकाल में किसके साथ रहे, और उनकी मौत कैसे हुई, पारिस्थितिक बिंदु हैं, का उत्तर आवेदक ने तहसील में दिया है. तहसीलदार ने अपन निर्णय लेने के पूर्व इस आपत्ति का उल्लेख अपने आदेश में करते हुए उसका विधिवत निराकरण किया है. अतः, अनावेदकों का यह कहना कि तहसीलदार ने उनकी आपत्ति को अपना निर्णय पारित करने के पूर्व निराकृत नहीं किया, मानी किये जाने योग्य नहीं है.

5. पटवारी की रिपोर्ट दि १९-३-०४ की प्रति तहसील के प्रकरण में विद्यमान है. अतः, अपर आयुक्त का यह लिखना कि वह उपलब्ध नहीं रही, पूर्णतः सही नहीं है. इस रिपोर्ट में लिखे अनुसार तहसीलदार ने पटवारी के साथ खुद भी मौका निरीक्षण किया था, और मौके पर आवेदक मुनीन्द्र का कब्जा पाया गया था. अतः, वाद भूमि पर कब्ज़े की स्थिति इससे स्पष्ट हो जाती है.
6. उपरोक्त बिन्दुओं और विवेचना के प्रकाश में मैं अनावेदकपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टान्त इस प्रकरण में लागू नहीं पाता क्योंकि (१) चूँकि इश्तेहार या अन्य जानकारी के आधार पर अनावेदक तहसीलदार के

समक्ष स्वयं ही उपस्थित हो गए थे, इसलिए यहाँ उन्हें व्यक्तिशः सूचनापत्र जारी कर तामील नहीं कराए जाने के आधार पर प्रकरण के निर्णय को गलत मानना, केवल प्रक्रिया के बिंदु के आधार पर न्याय के उद्देश्य को विफल या विलंबित करने का प्रभाव रखेगा, और (२) यहाँ वसीयत को प्रमाणित मानने के लिए उसके नोटरी द्वारा सत्यापित होने को अकेला आधार नहीं बनाया गया है, बल्कि वसीयत के साक्षी का बयान भी हुआ है, तहसीलदार ने मौके की कार्यवाही भी स्वयं की है और पटवारी से रिपोर्ट भी ली है.

[६] उपरोक्त बिन्दुओं और विवेचना के प्रकाश में और आधार पर मैं अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दि ३०-३-१३ स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ और एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ. साथ ही तहसीलदार का सम्बन्धित आदेश दि १६-४-०४ और अनु अधि का सम्बन्धित आदेश दि १४-६-०७ यथावत करता हूँ.

आदेश पारित.
निगरानी स्वीकृत.
पक्षकार सूचित हों.
अभिलेख वापस हो.
प्रकरण समाप्त.
दा द हो.

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर